न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/41/नागौर

विभागीय अपील द्वारा श्री रणजीत सिंह पटवारी, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के आदेश क्रमांक प–9/भू.अ./वि.जा./2015/1203 दिनांक 01.02.2016 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री रणजीत सिंह पटवारी, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

निर्णय

दिनांकः– 19.10.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर जिला नागौर के आदेश क्रमांक प–9/भू.अ./वि.जा./2015/1203 दिनांक 01.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक प–9( )/भू.अ./वि.जा./2015/7491 दिनांक 23.10.2015 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः–

1. अपचारी कर्मचारी दिनांक 18.01.2011 से 13.10.2014 तक पटवार मण्डल कुचामनसिटी के पद पर कार्यरत रहे। उक्त अवधि मे कुचामनसिटी के नामान्तकरण संख्या 4517 दिनांक 06.05.2014 दर्ज कर तहसीलदार कुचामनसिटी से स्वीकृत कराने के उपरान्त उक्त

नामान्तकरण पर स्वेच्छा से "पुनश्चयः नामान्तकरण के कॉलम संख्या 7 मे मृतक खातेदार मदनलाल एक ही जाति व एक ही वल्दियत के दो व्यक्ति है ऐसी स्थिति मे भू–अभिलेख निरीक्षक से गहन जांच उपरान्त निस्तारण की अपेक्षा की जाती है तथा साथ ही तहसीलदार से भी उक्त नामान्तकरण के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थना पत्र एक की प्रति नामान्तकरण की परत पर चस्पा है" का अंकन कर दिनांक 26.05.2014 को पेश करना बताया जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2014 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार आप द्वारा नामान्तकरण संख्या 4517 की परतो पर नामान्तकरण स्वीकृति एवं समयावधि के बाद नोट का अंकन कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 32 के प्रावधानो के विपरीत कार्य किया गया।

2. कुचामनसिटी की जमाबन्दी संवत 2070–73 बनकर जांच उपरान्त तहसील कार्यालय मे जमा हो जानी चाहिए थी। परन्तु दिनांक 13.10. 2014 को श्री रणजीत का स्थानान्तरण हो जाने तक भी उक्त जमाबन्दी तैयार नही की गई।
3. तहसीलदार कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक 10 दिनांक 12.06.2013, 08 दिनांक 28.04.2014 एवं 16 दिनांक 27.05.2014 के द्वारा सीमाज्ञान के आदेश दिये जाने के बाद भी संबंधित खातेदारो का सीमाज्ञान दिनांक 13.10.2014 को श्री रणजीत का स्थानान्तरण हो जाने तक भी नही करवाया गया जबकी उक्त सीमाज्ञान 15 दिन मे करवा कर पालना रिपोर्ट तहसील कार्यालय मे प्रस्तुत की जानी थी।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के उक्त दण्डादेश दिनांक 01. 02.2016 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के ज्ञापन क्रमांक 7491 दिनांक 23.10.2015 को आरोप अभिकथन का विवरण प्रेषित किया गया। आरोपी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 17.12.2015 को प्राप्त हुआ। कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब मे आरोप संख्या 1 के संबंध मे नामान्तकरण पर स्वीकृति पश्चात पुनश्चयः टिप्पणी अंकित करना स्वीकार किया गया। आरोप संख्या 2 व 3 के संबंध मे जमाबन्दी तैयारी व सीमाज्ञान मे हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करने वाला कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नही किया। अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए एवं राजस्व रेकार्ड मे पाई गई कमिंयो के मध्यनजर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच की कार्यवाही करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 4517 दिनांक 06.05.2014 दर्ज होने के पश्चात अपीलार्थी को ग्रामवासियो ने अवगत कराया कि मृतक मदनलाल पुत्र रतनलाल के नाम के दो व्यक्ति है जो ग्राम राणासर मे निवास करते है। इस आशंका को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य मे इसका कही विपरित प्रभाव न पडे जिसके कारण अपीलार्थी ने दिनांक 26.05.2014 को तहसीलदार कुचामनसिटी को पत्र प्रेषित कर इस स्थिति से अवगत करा दिया। उक्त पत्र के क्रम मे तहसीलदार द्वारा मौखिक रूप से रिव्यु करने के आदेश दिये जिसके कारण भविष्य मे प्रश्नगत भूमि का आगे बेचान न हो जाने के कारण अपीलार्थी ने नामान्तंकरण मे उक्त पुनश्चः नोट अंकित किया। अपीलार्थी का उक्त पुनश्चः नोट अंकित करने का उद्धेश्य किसी भी पक्षकार को नुकसान पहुचाने का नही था, केवल मात्र वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना था। अपीलार्थी द्वारा द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के सभी इन्द्राज पूर्ण कर लिये गये थे, उसके उपरान्त भी अपीलार्थी स्थान पर जो पटवारी पटवार मण्डल कुचामनसिटी पदस्थापित हुआ उसने यह जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 दिनांक 29.12.2015 को तहसील मे तस्दीक हेतु जमा कराई। अपीलार्थी ने तहसीलदार कुचामनसिटी के आदेश दिये जाने के बाद भी संबंधित खातेदारो का सीमाज्ञान नही करने संबंध मे निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1730 आधी की खातदारी भूमि दिनांक 12.12.2012 को ही नगर पालिका मण्डल कुचामनसिटी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो चुकी है। खसरा नम्बर 1565 खातेदारी भूमि

के मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान नही हुआ। खसरा नम्बर 835 की खातेदारी भूमि का खातेदार सीमाज्ञान हेतु मौके पर उपस्थित नही हुआ। अन्त मे अपचारी कर्मचारी ने निवेदन किया कि भविष्य मे सभी कार्य समय पर किये जायेगें एवं उच्चाधिकारियों के आदेशो की पालना की जायेगी। अतः जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2016 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी पटवारी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपचारी कार्मिक द्वारा ग्राम राणासर मे मृतक खातेदारी मदनलाल पुत्र रतनलाल के नाम के दो व्यक्ति एक ही जाति व एक ही वल्दियत के होने से तहसीलदार के मौखिक रिव्यु आदेश सें उक्त पुनश्चः नोट अंकित किया गया। खातेदारी भूमि के मौके पर विवाद होने व खातेदार का मौके पर उपस्थित नही होने के कारण सीमाज्ञान नही हुआ। जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार व नजर अन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोकने दण्ड से दण्डित किया गया है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 01.02.2016 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री रणजीत सिंह पटवारी, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 01.02.2016 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर